रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 1977 फाल्गुन 9, 1898
No. 65] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 1977 PHALGUNA 9, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February 1977

G.S.R. 96(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the President's Pension Act, 1951 (30 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the President's Pension Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the President's Pension (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the President's Pension Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in clause (a) the words "and includes the last Governor General of India" shall be omitted.

3. After rule 6A of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"6B *Application of rules 4 to 6A to the spouse of a retired President, etc.*—(1) The provisions of rules 4 to 6A shall, so far as may be, apply to the spouse of a retired President and the spouse of a person who dies while holding the office of President.

(2) All expenses under this rule shall be borne by the Central Government on production of a certificate by the spouse in Form II or Form III, as the case may be, or by any person authorised by such spouse in this behalf in Form IIB or Form IVA, as the case may be, appended to these rules"

4 For rule 8 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely —

"8. *Saving*.—Nothing in these rules shall be deemed to prevent the Central Government from providing to a retired President, his spouse or the spouse of a person who dies while holding the office of President any facility relating to the medical treatment or attendance or travelling expenses for any journey performed by him or the spouse, which is not authorised by rules 4 to 6B.".

5. In Form II of the said rules, in the heading, for the words and figure "in rule 4", the words, figures and letter "in rule 4 and rule 6B" shall be substituted.

6. After Form IIA of the said rules, the following Form shall be inserted, namely.—

"Form IIB

[Form of certificate referred to in sub-rule (2) of rule 6B]

Certified that the amount of Rs (Rupees . .. .) drawn has been expended in connection with the medical treatment/attendance/consultation of Shri/Shrimati . . . spouse of . . ..

Signature ..
Designation. . . . .
Date.. . . ..
Place . ... "

7. In Form III of the said rules, in the heading, for the words and figure "in rule 6", the words, figures and letter "in rule 6 and rule 6B", shall be substituted

8. After Form IV of the said rules, the following Form shall be inserted namely—

"Form IVA

[Form of certificate referred to in sub-rule (2) of rule 6B]

Certified that the amount of Rs . . (Rupees . . drawn on account of travelling expenses has been incurred by—

(i) Shri/Shrimati . . .
spouse of . . . ..

OR

(ii) medical attendant/specialist/medical practitioner of Shri/Shrimati ... ., spouse of. .. ..

in connection with medical consultation/attendance/treatment

Signature..... . ...
Designation . ...
Date.......... .. ..
Place .. . ."

[No. F. 1/3/76-States]

K. M. L. CHHABRA, Joint Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1977

सा० का० नि० 96 अ —केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति पेंशन नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) इन नियमो का नाम राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 राष्ट्रपति पेंशन नियम, 1962 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 मे खण्ड (क) मे से "और इसके अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल भी सम्मिलित है" शब्दों का लोप किया जाएगा।

3 उक्त नियमो के नियम 6क के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् --

"6ख सेवा निवृत्त राष्ट्रपति आदि के पति या पत्नी को नियम 4 से 6क तक का लागू होना— (1) नियम 4 से 6क के उपबंध यावत्शक्य किसी सेवा निवृत्त राष्ट्रपति के पति या पत्नी को और ऐसे व्यक्ति के, जिसकी मृत्यु राष्ट्रपति का पद धारण करते हुए हो जाती है, पति या पत्नी को लागू होंगे।

(2) पति या पत्नी द्वारा, यथास्थिति, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में या ऐसे पति या पत्नी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथास्थिति, इन नियमो से उपाबद्ध प्ररूप 2 ख या प्ररूप 4क में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर इस नियम के अधीन सभी व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।"।

4 उक्त नियमो के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् —

"8 निर्वचन.—इन नियमों की कोई भी बात किसी सेवानिवृत्त राष्ट्रपति उसके पति या उसकी पत्नी या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसकी मृत्यु राष्ट्रपति का पद धारण करते हुए हो जाती है, पति या उसकी पत्नी को, ऐसे चिकित्सा उपचार या परिचर्या या उसके द्वारा या उसके पति या उसकी पत्नी द्वारा की गई किसी ऐसी यात्रा के व्यय के संबंध में सुविधा प्रदान करने से निवारित नही करेगी, जो नियम 4 से 6ख द्वारा प्राधिकृत नही है।"

5. उक्त नियमो के प्ररूप 2 में, शीर्ष मे,—

"नियम 4 में" शब्दो और अंक के स्थान पर "नियम 4 और नियम 6ख में" शब्द अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के प्ररूप 2क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप 2ख

[नियम 6ख के उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र का प्ररूप]

प्रमाणित किया जाता है कि निकाली गई..................रुपए (..........
.........रुपए) की रकम श्री/श्रीमती................
के पति या की पत्नी श्री/श्रीमती..............................
के चिकित्सा उपचार, परिचर्या परामर्श के संबंध मे खर्च की गई है ।

हस्ताक्षर..............
पदाभिधान..............
तारीख..............
स्थान.................."

7. उक्त नियमो के प्ररूप 3 मे, शीर्ष में, "नियम 6 में" शब्दो और अंक के स्थान पर "नियम 6 और नियम 6ख" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

8. उक्त नियमों के प्ररूप 4 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप 4क

[नियम 6ख के उप-नियम (2) मे निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र का प्ररूप] प्रमाणित किया जाता है कि—

(i) श्री/श्रीमती..........................,
के पति की पत्नी श्री/श्रीमती..................,
द्वारा यात्रा मद्धे

या

(ii) श्री/श्रीमती............................,
के पति की पत्नी श्री/श्रीमती..............................
के चिकित्सा परिचारक/विशेषज्ञ/चिकित्सा व्यवसायी द्वारा (.........रुपए)
प्राप्त की गई....................रुपए
की रकम के चिकित्सा-परामर्श/परिचर्या के संबंध में, खर्च की गई है ।

हस्ताक्षर....................
पदाभिधान..................
तारीख....................
स्थान....................".

[सं० फा० 1/3/76-राज्य]

के० एम० एल० छाबड़ा, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977